



प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

E-Mail : rmmzn@prathamaupbank.com

क्षेत्रीय कार्यालय:

127/128 अंकित विहार,

पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (3030)

फोन-7217028797, 7217029196

फैक्स-0131-2412155

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है जो कुछ भी है (As is where is what is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय का निर्णय लिया है।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	दिनांक, समय एवं स्थान
1	शाखा: अलमासपुर, मुजफ्फरनगर	श्री संदीप कुमार जैन एवं श्रीमति दीपमाला जैन पत्नी श्री संदीप कुमार जैन	आवासीय मकान स्थित है मकान संख्या 774 मोहल्ला रामपुरी परगना एवं तहसील मुजफ्फरनगर में स्थित है. क्षेत्रफल 55.48 वर्ग मीटर. सीमा पू 14'9" प 14'9" उ 41' द 40' बाउंड्री पूर्व : सुमित्रा का घर, पश्चिम: सड़क 18', उत्तर: बीके गोयल का घर , दक्षिण: सुभाष चंद का घर	Rs. 2045356/- ब्याज एवं अन्य खर्चें 01. 11.2022 से	Rs.2400000/-	Rs.2400000/-	Date 30.01.2024, Tuesday 11.00 AM to 3:00 PM, Place - Regional Office, Prathama UP Gramin Bank , Ankit Vihar Pachenda Road, Muzaffarnagar.

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें: (1) उक्त सम्पत्तियाँ ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी।(2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू0पी0 ग्रामोण बैंक, की संबन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मॉग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई0एम0डी0) के रूप में संबन्धित शाखा प्रबन्धक के पास नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व शाम 5.00 बजे तक जमा करानी होगी।(3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/मॉग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई0एम0डी0 प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई0एम0डी0 नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली को शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल/टैक्स/बिजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीय एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अवकाश घोषित किया जाता

है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। (9) बोली कर्ता को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, संबन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मॉग डाफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई0एम0डी0) के रूप में नीलामी से एक दिन पूर्व शाम 5.00 बजे तक संबन्धित शाखा प्रबन्धक के पासजमा करानी होगी। (10) उक्त सम्पत्तियाँ जैसा है जहां है, जो भी है के आधार पर बेची जायेंगी। (11) ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा करा दें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चों सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक 27.12.2023

स्थान: मुजफ्फरनगर

बैंक प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक



प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर